

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक—जविप्रा / उपा. / जोन—14 / 2020 / डी— 🎾 🖇

दिनांक 31-1-2020


मैसर्स आशियाना मंगलम् बिल्डर्स, कार्यालय पता—401, तृतीय तल, अपेक्स मॉल, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर—302015


विषय:— निजी खातेदारी की आवासीय योजना गुलमोहर गार्डन विस्तार द्वितीय में इर्डब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु आरक्षित भूखण्डों को रिक्त भूखण्ड आवंटन नहीं करके उक्त भूखण्डों पर dewelling unit बनाकर निजी विकासकर्ता के स्तर पर आवंटन/विकय करने की अनुमित के संबंध में। संदर्भ:—आपक पत्र दिनांक 20.11.2019 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा निजी खातेदारी की आवासीय योजना गुलमोहर गार्डन विस्तार द्वितीय में इर्डब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु आरक्षित भूखण्डों को रिक्त भूखण्ड आवंटन नहीं करके उक्त भूखण्डों पर dewelling unit बनाकर निजी विकासकर्ता के स्तर पर आवंटन/विक्रय करने की अनुमित चाही गयी थी। जिसके कम में बी.पी.सी.(एल.पी.) की 277वीं बैठक दिनांक 06.01.2020 के एजेण्डा संख्या 277 के निर्णयानुसार विकासकर्ता द्वारा सामान्य भूखण्डों पर निर्माण कर विक्रय किये जाते है। इसलिये ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु आरक्षित भूखण्डों पर dewelling unit बनाने की अनुमित दी जाती है। सूचनार्थ प्रेषित है।

al

उपायुक्त जोन—14 जयपुर, विकास प्राधिकरण, जयपुर।





GROUND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

LG-1,LG-7

